अनुदान संख्या 40 – पेंशन
GRANT No. 40–PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*13,84,00*	*17,98,00*	*17,72,47*	*–25,53*
पूरक	*Supplementary*	*4,14,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4697,96,00	5232,02,00	5223,68,35	–8,33,65
पूरक	Supplementary	534,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेशनों के सारांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम- सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नानुसार हुईं/हुआ:-

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *1.00 लाख रु.* का *विनियोग* पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *74.03 लाख रु.* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 25 प्रतिशत थी।

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred as under:-

(I) *Appropriation* of *Rs.1.00 lakh* remained wholly unutilised under one head.

(II) Under one head saving of *Rs.74.03 lakhs* occurred constituting 25 percent of the sanctioned *appropriation*.

3. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत *60.56 लाख रु.* के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत *विनियोग* का 20 प्रतिशत थीं।

3. The above savings were offset by an excess of *Rs.60.56 lakhs* under one head constituting 20 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

4. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	466445.00	519851.00	518896.05	–954.95
पु.	R.	53406.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare		3351.00	3472.30	+121.30

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" के अंतर्गत 44440.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में 20000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 64440.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो प्रत्याशा से कम परिवार पेंशन के दावे प्राप्त होने के कारण 2319.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2071" – "Civil - Family Pensions-Family Pensions"- the original provision of Rs.44440.00 lakhs was augmented to Rs.64440.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20000.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2319.69 lakhs - due to receipt of less claims of Family Pensions than anticipated.

(III) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(III) Under Major Head "2071" - "Civil"- savings also occurred under the following heads:-

(क) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को चिकित्सा उपचार प्रतिपूर्ति की अदायगी"-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Payment towards medical treatment reimbursement to Central Government Pensioner"-

122.78 लाख रु. की बचत (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''उपदान - साधारण पेंशन'' - 9041.72 लाख रु. की बचत (74650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''छुट्टी नकदीकरण - साधारण पेंशन'' - 1512.54 लाख रु. की बचत (30200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

5. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' -

(का) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन'' - 2003.49 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 30500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 269682.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''पेंशन का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन'' - 10014.56 लाख रु. का अधिक व्यय (50700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''अन्य पेंशनें - बर्मा /सिविलयन पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अनुग्रह पूर्वक/तदर्थ भत्ता'' - 137.07 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधियां - सामान्य भविष्य निधि की संशोधित निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम'' - 138.62 लाख रु. का अधिक व्यय(3198.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

saving of Rs.122.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs);

(B) "Gratuities-Ordinary Pensions" - saving of Rs.9041.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.74650.00 lakhs); and

(C) "Leave Encashment - Ordinary Pensions"- saving Rs.1512.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30200.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims than anticipated.

5. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2071" - "Civil"-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances-Ordinary Pensions"-excess of Rs.2003.49 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.269682.00 lakhs including supplementary grant of Rs.30500.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005);

(B) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions"-excess of Rs.10014.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50700.00 lakhs);

(C) "Other Pensions - Ex-gratia/ad-hoc Allowances to Burma / Civilan Pensioners/Family Pensioners"- excess of Rs.137.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs); and

(II) Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Deposit Linked Insurance Scheme – Government Provident Funds – Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Fund" – excess of Rs. 138.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3198.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to receipt of more claims than anticipated.